न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,झालावाड़
पीठासीन अधिकारीः अजय सिंह राठौड़, आई0ए0एस0

मि0नं0 09/अपील/23 तारीख दायरा :21.06.2023

उनवान अपील

01. कैलाशचन्द पुत्र भवानीशंकर जाति सुतार निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला झालावाड़ राज0 अपीलार्थी

बनाम

01. कोशल कुमार पुत्र इन्दरमल

02. मनीष कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार जातियान जैन महाजन निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला झालावाड़ राजस्थान

03. तहसीलदार तहसील रायपुर जिला झालावाड़ राजस्थान रेस्पोंडेण्ट्स

अपील बनाराजगी आदेश दिनांक 08.05.2023 तहसीलदार तहसील रायपुर बाबत रद्द किये जाने नामान्तकरण।

उपस्थित :श्री फिरोज अहमद, अभिभाषक अपीलान्ट

:श्री ओंकारेश्वरम शर्मा अभिभाषक रेस्पो0

– :निर्णयः – दिनांकः 27.08.2024

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवार मण्डल रायपुर तहसील रायपुर स्थित आराजी खाता संख्या 114 खसरा नं0 1760/1 रकबा 0.2529 हैक्टेयर में से 0.1265 हैक्टेयर पश्चिम दिशा वाके रायपुर तहसील रायपुर का नामा0 4095 दिनांक 08.05.2023 को अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये बगैर किसी जांच व तहकीकात के तस्दीक किया है से आहत होकर अपील अपीलांट पेश की गई है। अपील में उल्लेख किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रायपुर को डिस्पुटेड भूमि का इन्तकाल तस्दीक करने का अधिकार नहीं है इस कारण जैर अपील आदेश गैर कानूनी है एवं निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रायपुर को इस आराजी खसरा नं0 1760/1 वाके ग्राम रायपुर के पूर्वी भाग के नामा0 को ग्राम पंचायत रायपुर के फुल कोरम में खारिज किये जाने की पूर्ण जानकारी होने पर भी पश्चिम भाग का नामा0 रेस्पो0 01 व 02 के नाम तथ्यों का छुपाकर ग्राम पंचायत के सरपंच के हड़ताल का झूठा बहाना बनाकर बगैर किसी जांच के गोपनीय तरीके से रायपुर से 25 किलोमीटर दूर कड़ोदिया कैम्प में तस्दीक किया है एवं विवादग्रस्त आराजी के सम्बंध में सिविल व रेवेन्यू मुकदमें अदालतों में लम्बित है अतः जेर अपील

तस्दीक नामा0 निरस्तनीय है। अतः अपील पेश कर निवेदन किया है कि तहसीलदार रायपुर का आदेश दिनांक 08.05.2023 खसरा नं0 1760/1 रकबा 0.2529 हैक्टेयर में से 0. 1265 हैक्टेयर पश्चिम दिशा वाके ग्राम रायपुर का नामा0 अपास्त किया जावे और यह भूमि रेस्पो0 नं0 01 व 02 के खाते से निकालकर पूर्व की स्थिति भाल की जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया। रेस्पो0 की ओर से विद्वान वकील श्री ओंकारेश्वरम शर्मा का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ जो शामिल पत्रावली किया गयी। पत्रावली वास्ते बहस उभयपक्षकारान रखी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित बहस में अपील मीमों के उल्लेखित बिन्दुओं को दोहराते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विवादास्पद नामा0 खारिज कर पूर्व की स्थिति कायम किये जाने का निवेदन किया है। इस पर विद्वान वकील रेस्पोंडेण्ट ने अपनी बहस में बताया कि इंतकाल संख्या 4095 दिनांक 08.05.2023 रजिस्टर्ड बैचाननामा के आधार पर रेस्पों0 संख्या 01 व 02 नाम नियमानुसार तस्दीक किया गया। अपीलांट रजिस्टर्ड बैचानानामा को निरस्त करवाने के लिए सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अद्योपान्त अवलोकन किया। अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत नामा0 4095 दिनांक 08.05.2023 रजिस्टर्ड बयनामें दिनांक 07.02.2023 के आधार पर तस्दीक किया गया है एवं नामा0 तस्दीक किये जाने की दिनांक पर उक्त वादग्रस्त आराजी पर किसी भी न्यायालय से किसी भी तरह का स्थगन पारित नहीं किया गया था जिसकी पालना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील नामा0 तस्दीक नहीं किया जाना चाहिए था। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील रायपुर द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में खोले गए नामा0 में किसी भी तरह का हस्तक्षेप अथवा रद्दोबदल करना यह न्यायालय उचित नहीं समझता है । अतः अपील अपीलांट मय खर्चा खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तहसील रायपुर को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसले में शुमार की जाकर बाद तामिल तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजय सिंह राठौड़)
जिला कलक्टर
झालावाड़

जिला कलक्टर
झालावाड़